

IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 & 28 of NGT Act 2010)

On Behalf of the Applicant

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls PG College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

**IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

INDEX

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

S.No.	Particulars	Page No.
COMPILATION-I		
1.	SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT	01-08
2.	AFFIDAVIT WITH VERIFICATION	09
COMPILATION-II		
1.	ANNEXURE No. A 1 A copy of the Email Dated 08.07.2024	10-11
2.	ANNEXURE No. A 2 Copies of the letter and email dated 24.06.2024	12-14
3.	ANNEXURE NO. A 3 Copies of the letters and emails dated 25.06.2024 and 02.07.2024, along with supporting photographs	15-24

	ANNEXURE No. A 4	
4.	Relevant media reports dated 04.07.2024 published in all major Hindi daily – Dainik Jagaran, Amar Ujala and Hindustan	25-27
	ANNEXURE No. A 5	
5.	Copies of the letters and emails dated 06.07.2024 and 07.07.2024	28-32
	ANNEXURE No. A 6	
6.	A copy of the letter and email dated 08.07.2024	33-35
	ANNEXURE No. A 7	
7.	Copies of the letters and emails dated 17.08.2024 and 21.08.2024 along with geotagged photographs taken on 17.08.2024, 20.08.2024 and 21.08.2024	36-46
	ANNEXURE No. A 8	
8.	A copy of letter dated 22.08.2024	47-49
	ANNEXURE No. A 9	
9.	Geotagged Photographs of devastated and ruined college campus	56-53

Date: 27.08.2024


Applicant

Through



(HARSHIT SRIVASTAVA)
(Advocate)
Enrollment No. UP 01215/2017
Chamber No. 18, Old Building
High Court, Allahabad
Mob No. 8285872355
E.Mail: Advo.Harshit@gmail.com

(RAVINDRA LOKHANDE)
(Advocate)
Enrollment No. MAH 01633/2005
Chamber no. 318, New Lawyers Chamber,
Bhagwan Das Road, Supreme Court of India, New Delhi
Mob No. 9702999982
E.Mail: advrivilokhande@gmail.com

IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 & 28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:**Saket Girls PG College**

Through Its Authorized Representative

Arvind Srivatsava, Trustee

Saket Girls PG College, Gaighat Road,

Dahilamau, Pratapgarh, Uttar Pradesh.

Pin Code: 230001

Mob No: 9838107210

Email Id: Admin@Saket.Education

.....APPLICANT

VERSUS

1. State of Uttar Pradesh

Through Chief Secretary,

101, Lok Bhawan, U.P. Civil Secretariat,

Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh

Pin Code:- 226001

Phone No: 0522-2289212/2289296,

Email Id: CSUP@NIC.IN**2. The Executive Officer,**

Nagar Palika Parishad, Belha Pratapgarh, Uttar Pradesh

Pin Code: 230001w

Mob No: 7355038052

Email Id: EONPPPRTATAPGARH@GMAIL.COM**3. The Principal Secretary,**

Public Works

Department,

Government Of Uttar Pradesh,

96, Mahatma Gandhi Marg,

Raj Bhavan Colony, The Mall Avenue,

Lucknow, Uttar

Pradesh,

Pin Code:-226001.

Phone No:-522-2234561

Email Id:-NR.GOKARN@NIC.IN**4. The Superintendent Engineer (Civil)/ Executive Engineer,**

Public Works Department,

Construction Division:2,

Belha Pratapgarh, Uttar Pradesh,

Pin Code: 230001

Phone No:-05342-220270/220997/9415457258

Email Id: PWDPRATAPGARHCIRCLE@GMAIL.COM**5. The Director, Directorate of Local Bodies, Up**

Room No. 206, Second Floor, Office Of Director, Local Bodies, Uttar Pradesh.

Plot No. 18, Sector 7, Gomti Nagar Lucknow

Pin Code: 226010




Number: 0522-2838110
 Email Id: DIRUPIB@NIC.IN

6. **The District Magistrate,**
 Pratapgarh, Uttar Pradesh,
 Pin Code: 230001

Mob No: 9454417520,
 Email Id: DMPRA@NIC.IN

7. **The Divisional Commissioner, Prayagraj Division**

Divisional Commissioner Office, Prayagraj
 Pin Code: 211002

Mob No: 9454417492
 Email Id: COMMALL@NIC.IN

..... RESPONDENTS

The humble affidavit of the applicant abovenamed

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present affidavit is filed to bring on record the current status of the situation prevailing at the Applicant College premises. This affidavit aims to apprise this Hon'ble Tribunal of recent developments and provide additional evidence pertinent to the effective resolution of the ongoing matter.
2. That the deponent is the Applicant in the above-captioned application and is fully conversant with the facts and circumstances of the case. The deponent is competent and authorized to swear this affidavit on behalf of the Applicant College.
3. That this affidavit supplements the previous pleadings and submissions made before this Hon'ble Tribunal concerning the subject matter. The necessity for this supplementary affidavit arises from recent events that have significantly impacted the Applicant College and the surrounding community, necessitating urgent attention and remedial action.
4. That despite clear directives issued by this Hon'ble Tribunal in its orders dated 15.02.2022, 01.07.2022, and 07.08.2023, the Respondents have persistently failed to comply with the mandated measures aimed at alleviating the environmental and infrastructural issues faced by the Applicant College.
5. That in unwavering compliance with the order dated 01.07.2024 issued by this Hon'ble Tribunal, the Applicant took immediate steps to serve copies of the Supplementary Affidavit dated 31.06.2024, together with IA No. 277/2024, to all Respondents and concerned parties. These documents were meticulously prepared



37 A 4 4/2/24

and dispatched via email on 08.07.2024, precisely within the one-week deadline mandated by the Tribunal's order. The Applicant's proactive and timely compliance was aimed at ensuring that the Respondents had every opportunity to respond meaningfully, as envisioned by this Hon'ble Tribunal. A copy of the Email Dated 08.07.2024 is annexed hereto as Annexure A1.

6. That the order dated 01.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal explicitly directed that the Applicant's response to the reports dated 29.06.2024 be served to the Respondents, allowing them one week to file their responses. Despite the Applicant's diligent efforts to facilitate this process, it is with regret that the Applicant reports that, as of the date of this affidavit, no response or reply has been received from any of the Respondents. This silence from the Respondents is particularly concerning given the gravity of the issues at hand and the clear directive from the Tribunal that required their engagement.

7. That the failure of the Respondents to respond is not merely a procedural lapse but a continuation of a pattern of neglect and inaction that has characterized their conduct throughout these proceedings. This non-compliance undermines the authority of this Hon'ble Tribunal and has had tangible, adverse consequences. The continued inaction has allowed the environmental and infrastructural challenges faced by the Applicant College to worsen, unchecked by any corrective measures that should have been initiated following the Tribunal's order. The absence of a response has further delayed the resolution of these critical issues, perpetuating the suffering of the Applicant and the broader community affected by the ongoing waterlogging and structural damage. This disregard for the Tribunal's directive not only reflects a lack of commitment to resolving the issues but also jeopardizes the safety, health, and well-being of all those impacted by the Respondents' ongoing non-compliance.

8. That on 24.06.2024, the Applicant formally notified the Respondent authorities through letters and emails regarding the unabated flow of polluted drain water into the college premises and adjacent areas. The communication emphasized that no action had been initiated towards constructing the requisite drainage system



31/07/2024

as ordered by this Hon'ble Tribunal. Copies of the letter and email dated 24.06.2024 are annexed hereto as Annexure A2.


9. That subsequent communications were sent on 25.06.2024 and 02.07.2024, requesting immediate intervention and an impartial survey to assess the escalating damage caused by continuous waterlogging. These appeals underscored the urgent need for remedial measures to prevent further deterioration of the college infrastructure and to safeguard the health and safety of students, faculty, and the local community. Copies of the letters and emails dated 25.06.2024 and 02.07.2024, along with supporting photographs, are annexed hereto as Annexures A3.
10. That despite these repeated communications, the Respondents submitted a misleading affidavit dated 27.06.2024 before this Hon'ble Tribunal, falsely claiming compliance with the Tribunal's orders. In reality, construction of the drainage system commenced only on 03.07.2024, following prolonged delays that resulted in significant and irreparable damage to the Applicant College and surrounding areas. All print media houses reported about the commencement of Drainage construction and how drainage diversion without arrangement of interim measures has caused hardships to locality including applicant. Relevant media reports dated 04.07.2024 published in all major Hindi daily – Dainik Jagaran, Amar Ujala and Hindustan corroborating these facts are annexed hereto as Annexure A4.
11. That on 06.07.2024 and 07.07.2024, direct appeals were made to Respondent No. 6, the District Magistrate and Administrator of Nagar Palika Parishad, Pratapgarh, detailing the severe hardships and structural damages faced due to the persistent negligence. These appeals highlighted large cracks and foundational shifts in the college buildings, posing imminent risks to all occupants. Copies of the letters and emails dated 06.07.2024 and 07.07.2024 are annexed hereto as Annexures A5.
12. That it is pertinent to mention here that the drainage construction initiated on 03.07.2024 was executed inadequately, beginning from the far end and failing to provide immediate relief to the inundated college premises and neighboring localities. Repeated requests for prioritizing the affected areas were ignored, leading to continued



अनुभव शर्मा

suffering and exacerbation of health hazards among residents and the college community. A copy of the letter and email dated 08.07.2024 is annexed hereto as Annexure A6.

13. That further communications on 17.08.2024 and 21.08.2024 detailed the worsening conditions due to ongoing heavy rainfall, which intensified the flooding and compounded the structural damages and health risks. Despite clear evidence of the crisis, the Respondents remained largely unresponsive and failed to implement effective mitigation measures. Copies of the letters and emails dated 17.08.2024 and 21.08.2024 along with geotagged photographs taken on 17.08.2024, 20.08.2024 and 21.08.2024 are annexed hereto as Annexures A7.
14. That on 22.08.2024, a team comprising officials from Respondent No. 2 conducted a survey of the affected areas and made minimal attempts to address the waterlogging through pumping mechanisms and partial clearing of blocked culverts. These efforts were insufficient and did not result in any substantial improvement of the conditions, leaving the Applicant College and surrounding community in a state of persistent distress. A copy of letter dated 22.08.2024 is annexed hereto as Annexure A8.
15. That despite four days of continuous operation of pumping systems, the relentless inflow of polluted water has maintained hazardous water levels within the college premises, rendering portions of the campus unusable and posing ongoing threats to health and safety. The failure to comprehensively clear blockages and address the root causes of the flooding reflects a continued pattern of negligence and disregard for the Tribunal's orders. Geotagged Photographs of devastated and ruined college campus are annexed hereto as Annexure A9.
16. That it is with deep concern that the Applicant brings to the attention of this Hon'ble Tribunal the apparent abandonment by the concerned authorities of their efforts to clear the culvert that is critical for restoring the natural flow of water. Despite repeated directives and the clear necessity of this action to prevent further waterlogging and environmental degradation, the authorities have seemingly capitulated to the undue influence and pressure exerted by local strongmen and goons. These individuals, who have



31/8-24

reportedly encroached upon the culvert area, have effectively obstructed the authorities from fulfilling their duties. The Applicant has observed a stark lack of progress in clearing the blockage, with the authorities making no meaningful attempt to overcome these unlawful impediments. This abdication of responsibility, driven by external pressures, has not only exacerbated the flooding and damage to the Applicant College but has also emboldened those who seek to undermine the rule of law, leaving the community vulnerable to continued environmental and structural hazards.

17. That the sustained inaction and inadequate responses by the Respondents have resulted in extensive infrastructural damage, significant educational disruption, and severe health and environmental hazards. The Applicant College has incurred substantial financial losses due to property damage, interruption of academic activities, and necessary emergency measures undertaken independently to mitigate immediate risks.
18. That the Applicant has endeavored to cooperate fully with all authorities and has taken all possible steps within its capacity to manage the crisis, including engagement of private sanitation services. However, these measures are unsustainable in the long term and do not substitute for the comprehensive action required from the Respondents as per the directives of this Hon'ble Tribunal.
19. That the current state of affairs is untenable and demands immediate and decisive intervention to prevent further harm and to restore safe and functional conditions at the Applicant College and the surrounding community.
20. That in light of the impending rainy season, proactive and strategic measures are imperative to prevent exacerbation of the existing problems. The establishment of effective, temporary mechanisms for water diversion and expedited drainage is critical to safeguarding the infrastructure and health of all affected parties.
21. That in consideration of the Respondents' historical record of non-compliance, it is respectfully advanced that this case may not be disposed of until the achievement of a conclusive resolution of the matter. This prayer is premised on the necessity to ensure full compliance by the Respondents with the Hon'ble Tribunal's



31/7-2011

mandates and to secure the execution of substantive measures to ameliorate the environmental harm occasioned.

22. That Respondents may be directed to conduct a thorough loss assessment of Applicant college by an authorized governmental agency with the objective of quantifying the financial damages incurred by the Applicant college as a consequence of the aforementioned predicaments. Subsequent to this assessment, it is sought that the Petitioner college may be permitted to appropriate application claiming for compensation and be accorded an exemption from the imposition of court fees, in recognition of the significant losses endured and the adversity faced, notwithstanding the Original Application being allowed by this Hon'ble Court.
23. That the Applicant, therefore, humbly prays for the issuance of immediate and stringent directions to the Respondents for strict compliance with the orders dated 07.08.2023, 15.02.2022, and 01.07.2022, in accordance with the provisions of Section 25 of the National Green Tribunal Act, 2010. Such compliance is essential to safeguard the rights and interests of the Applicant and to promote environmental conservation and public health.
24. That the Applicant further prays for the following specific interim reliefs:
 - a. Immediate and complete removal of polluted drain water from the Applicant College premises through effective and sustainable drainage solutions.
 - b. Comprehensive clearing and maintenance of all relevant culverts and drainage pathways to restore natural water flow and prevent future waterlogging.
 - c. Deployment of dedicated sanitation and maintenance teams to ensure regular cleaning, disinfection, and monitoring of the college premises and surrounding areas.
 - d. Implementation of preventive measures, including the application of insecticides and repellents, to mitigate health risks associated with stagnant water and pest infestations.
 - e. Conducting of an independent structural and environmental audit of the Applicant College to assess and



30/12-23-2023

address all damages and vulnerabilities caused by prolonged exposure to polluted water.

f. Provision of adequate compensation to the Applicant College for all documented losses and damages, facilitated through a streamlined and fair assessment process.

25. That the Applicant remains committed to cooperating with all directives of this Hon'ble Tribunal and seeks its esteemed guidance and intervention to ensure swift and just resolution of the matters outlined herein.

26. That the applicant hereby prays for the necessary directions to be issued to the respondents for strict compliance with the order dated 07.08.2023 and execution of orders dated 15.02.2022 and 01.07.2022 in accordance with the provisions of Section 25 of the National Green Tribunal Act, 2010, thereby safeguarding the rights and interests of the applicant and promoting environmental conservation.

27. That in light of the aforementioned facts and circumstances, Applicant respectfully requests this Hon'ble Tribunal to take this affidavit on record and incorporate it as part of the ongoing Execution Application for comprehensive consideration and appropriate adjudication..

Date: 27.08.2024



(HARSHIT SRIVASTAVA)

(Advocate)


Enrollment No. UP 01215/2017

Chamber No. 18, Old Building

High Court, Allahabad

Mob No. 8285872355

E.Mail: Advo.Harshit@gmail.com



DEPONENT

APPLICANT

Through

(RAVINDRA LOKHANDE)

(Advocate)

Enrollment No. MAH 01633/2015

Chamber no. 318, New Lawyers Chamber,

Bhagwan Das Road, Supreme Court of India, New Delhi

Mob No. 9769993511

E.Mail: advravidlokhande@gmail.com

VERIFICATION

I Arvind Srivastava, S/o Late Radhey Mohan Lal, aged about 64 years R/o 87 C Gaighat Road, Dahilamau, Pratapgarh, Uttar Pradesh, do hereby verify that of paras 1 to 23 are true to my personal knowledge and paras 24 to 26 are believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact.



DATE: 27.08.2024

PLACE: PRATAPGARH, UTTAR PRADESH



APPLICANT

IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 & 28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Arvind Srivastava, S/o Late Radhey Mohan Lal, aged about years
R/o 87 C Gaihat Road, Dahilama, Pratapgarh, Uttar Pradesh, do
hereby solemnly affirm and declare as under:


1. That I am an authorized applicant in the present matter and am
well conversant with the facts and circumstances of the present case
and competent to depose with respect hereto.

2. That I state that the statement of facts contained in the
accompanying Affidavit has been drafted by my counsel on my
instructions, and the same is true to my knowledge as gained from
different sources. That nothing contained therein is false, and
nothing material has been concealed therefrom.


Deponent

Verification

Verified on this 27th day of August, 2024 that the contents of the
above Affidavit are accurate to my knowledge as gained from the
records. That nothing contained therein is false, and nothing
material has been concealed therefrom.


Deponent



**IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ANNEXURE NO. A1

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

A copy of the Email Dated 08.07.2024



Harshit Srivastava <advo.harshit@gmail.com>

Service of Supplementary Affidavit dated 31.06.2024 and IA No. 277/2024 in Execution Application No. 24/2023 (IA No. 277/2024) in Original Application No. 44/2022

Harshit Srivastava <advo.harshit@gmail.com>

8 July 2024 at 19:36

To: CSUP@nic.in, EONPPPRATAPGARH@gmail.com, NR.GOKARN@nic.in, PWDPRATAPGARHCIRCLE@gmail.com, DIRUPLB@nic.in, DMPRA@nic.in, COMMALL@nic.in, ps.pwd@up.gov.in, feedback@uppcb.com, grievance@uppcb.com, roprayagraj@uppcb.in, ceo5@uppcb.in, roraebareli@uppcb.in, Saket Group of Colleges <admin@saket.education>

To Whom It May Concern,

This communication is issued pursuant to the order dated 01.07.2024, passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in Execution Application No. 24/2023 (IA No. 277/2024) in Original Application No. 44/2022, which was uploaded on 04.07.2024.

In compliance with the directives of the Hon'ble Tribunal, I, as counsel for the Applicant, hereby serve upon you copies of the following documents.

1. Supplementary Affidavit dated 31.06.2024;

 Supplementary Affidavit EA NGT.pdf

and

2. IA No. 277/2024.

 MA - Compensation NGT.pdf

Kindly find the attached documents for your records and requisite action. You are requested to provide copies of the enclosed documents to your respective counsel at the earliest.

Please acknowledge receipt of this email and the enclosed documents.

Should there be any queries or if further clarification is required, please feel free to contact the undersigned.

Warm Regards

Harshit Srivastava
Advocate
Counsel for the Applicant
8285872355

Attachments:1. Supplementary Affidavit dated
31.06.2024 Supplementary Affidavit EA NGT.pdf

2. IA No. 277/2024

 MA - Compensation NGT.pdf****Confidentiality Notice:****

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email from

**IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ANNEXURE NO. A2

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

Copies of the letter and email dated 24.06.2024

web-site : www.saket.education
e-mail : saketpratapgarr@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' (9838107210
9838503397



साकेत गर्ल्स पी०जी० कालेज

(सम्बद्ध : प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 24/06/2024

सेवा में,

अधिकाारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बेल्हा, प्रतापगढ़

विषय : महाविद्यालय परिसर में जल भराव रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि नाले का प्रदूषित जल महाविद्यालय में एक कक्ष की नींव में दिनांक 22/06/2024 से लगातार तेजी से प्रवाहित हो रहा है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को भी तत्समय ही अवगत कराया जा चुका है।

दिनांक 22/06/2024 को आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता में आपने आश्वस्त किया था कि नाले की खुदाई प्रारम्भ हो गई है और शीघ्र ही महाविद्यालय को गत 03 वर्षों से चल रही कठिनाई से मुक्ति मिल जायेगी।

मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि आज तक नाले की खुदाई का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है और परिसर से जल निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि भवन के नींव में हो रहे जल प्रवाह को रोकने की कृपा करे अन्यथा कभी भी भवन ध्वस्त हो सकता है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि नाला निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करे अन्यथा वर्षा ऋतु में वारिश के कारण यह समस्या और जटिल हो जायेगी।

भवदीया

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लोग निर्माण विभाग।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
6. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

Contact us : (05342) 223769, 220254, 221002, 221003, 221004, 221005, 221006,
221012, 221014, 221016, 221031

rediffmail

Mailbox of saketpratapgarh

Subject: महाविद्यालय परिसर में जल भराव रोकने के सम्बन्ध में।

From: saket<saketpratapgarh@rediffmail.com> on Mon, 24 Jun 2024 13:11:56

To: "eonpppratapgarh"<eonpppratapgarh@gmail.com>

Cc: "csup"<csup@nic.in>,"nrgokarn"<nrgokarn@nic.in>,"diruplb"<diruplb@nic.in>,"grievance@uppcb.com"<grievance@uppcb.com>

2 attachment(s) - Letter_24-06-2024.pdf (207.02KB) , water.mp4 (6.25MB)

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि नाले का प्रदूषित जल महाविद्यालय में एक कक्ष की नींव में दिनांक 22/06/2024 से लगातार तेजी से प्रवाहित हो रहा है; इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को भी तत्समय ही अवगत कराया जा चुका है।

दिनांक 22/06/2024 को आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता में आपने आश्चस्त किया था कि नाले की खुदाई प्रारम्भ हो गई है और शीघ्र ही महाविद्यालय को गत् 03 वर्षों से चल रही कठिनाई से मुक्ति मिल जायेगी।

मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि आज तक नाले की खुदाई का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है और परिसर से जल निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि भवन के नींव में हो रहे जल प्रवाह को रोकने की कृपा करे अन्यथा कभी भी भवन ध्वस्त हो सकता है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि नाला निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करे अन्यथा वर्षा ऋतु में बारिश के कारण यह समस्या और जटिल हो जायेगी।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लो० निर्माण विभाग।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
6. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।



IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ANNEXURE NO. A3

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 & 28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

Copies of the letters and emails dated 25.06.2024 and 02.07.2024,
along with supporting photographs

web-site: www.saket.education
e-mail : saketpratapgarrh@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' (9838107210
9838503397



साकेत गर्ल्स पी०जी० कालेज

(सम्बद्ध : प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 25/06/2024

सेवा में,

सचिव नगर विकास
उ०प्र० शासन
लखनऊ

विषय : माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पृष्ठांकन दिनांक 16/04/2024 एवं पत्र दिनांक 28/11/2022 (छायाप्रति संलग्न) को संदर्भित करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त के संदर्भ में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आख्या को संलग्न करते हुए अवगत कराना चाहती हूँ कि केवल प्रशासन की हठवादिता एवं नगर पालिका, बेल्हा, प्रतापगढ़ की उदासीनता के परिणाम स्वरूप महाविद्यालय परिसर में 03 वर्षों से अधिक नगर पालिका के अर्द्धनिर्मित नाले का प्रदूषित जल भरा हुआ है और महाविद्यालय भवन उक्त प्रदूषित जल में जलमग्न है। लगातार जलमग्न होने के कारण भवन ध्वस्त होने की स्थिति में है जिसकी सूचना अधिशाषी अधिकारी महोदय को दी जा चुकी है। (पत्र दिनांक 24/06/2024 की छायाप्रति संलग्न)

महाविद्यालय भवन के आज की स्थिति का छायाचित्र प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि महाविद्यालय भवन को हुई क्षति का आगणन किसी तकनीकी संस्था द्वारा कराने की कृपा करें जिससे माननीय हरित न्यायाधिकरण को आगामी 01 जुलाई को (निर्धारित सुनवाई तिथि) को तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक :

1. महाविद्यालय द्वारा पृष्ठांकन पत्र दिनांक 16/04/2024, 28/11/2024 एवं 24/08/2024 की छायाप्रति।
2. महाविद्यालय परिसर में क्षतिग्रस्त भवन के छायाचित्र।
3. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक्शन टेकन रिपोर्ट।
4. माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10/04/2024 की प्रति।

भवदीया

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, लो० निर्माण विभाग।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
5. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़।

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

Contact us : (05342) 223769, 220264, 221002, 221003, 221004, 221005, 221006,
221012, 221014, 221016, 221031

rediffmail

Mailbox of saketpratapgargh

Subject: माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

From: saket<saketpratapgargh@rediffmail.com> on Tue, 25 Jun 2024 14:06:17

To: "nrgokarn"<nrgokarn@nic.in>

Cc: "csup"<csup@nic.in>,"diruplb"<diruplb@nic.in>,"grievance@uppcb.com"<grievance@uppcb.com>,"commail"<commail@nic

1 attachment(s) - Letter_25-06-2024_Final.pdf (6.97MB)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महाविद्यालय के पुष्पांकन दिनांक 16/04/2024 एवं पत्र दिनांक 28/11/2022 (छायाप्रति संलग्न) को संदर्भित करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के संदर्भ में उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आख्या को संलग्न करते हुए अवगत करना चाहती हूँ कि केवल प्रशासन की हठवादिता एवं नगर पालिका,बेल्हा, प्रतापगढ़ की उदासीनता के परिणामस्वरूप महाविद्यालय परिसर में 03 वर्षों से अधिक नगर पालिका के अर्द्ध-निर्मित नाले का प्रदूषित जल बरा हुआ है और महाविद्यालय भवन उक्त प्रदूषित जल में जलमग्न है। लगातार जलमग्न होने के कारण भवन धरत होने की स्थिति में है जिसकी सूचना अधिशासी अधिकारी महोदय को दी जा चुकी है। (पत्र दिनांक 24/06/2024 की छायाप्रति संलग्न)

महाविद्यालय भवन के आज की स्थिति का छायाचित्र प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि महाविद्यालय भवन को हुई क्षति का आगमन किसी तकनीकी संस्था द्वारा कराने की कृपा करें जिससे माननीय हरित न्यायाधिकरण को आगामी 01 जुलाई को (निर्धारित सुनवाई तिथि) को तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक:

1. महाविद्यालय द्वारा पुष्पांकन पत्र दिनांक 16/04/2024, 28/11/2024 एवं 24/08/2024 की छायाप्रति।
2. महाविद्यालय परिसर में क्षतिग्रस्त भवन के छायाचित्र।
3. उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक्शन टेकन रिपोर्ट।
4. माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10/04/2024 की प्रति।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. प्रमुख सचिव, उओप्रओ शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, लोग निर्माण विभाग।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
5. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़।



महाविद्यालय परिसर में क्षतिग्रस्त भवन के छायाचित्र



महाविद्यालय परिसर में क्षतिग्रस्त भवन के छायाचित्र






(20)

महाविद्यालय परिसर में क्षतिग्रस्त भवन के छायाचित्र



[Handwritten signature]

महाविद्यालय परिसर में क्षतिग्रस्त भवन के छायाचित्र (21)



web-site : www.saket.education
e-mail : saketpratappgarh@rediffmail.com



महाविद्यालय कोड : 04078

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' (9838107210
9838503397

साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज

(सम्बद्ध : प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

दिनांक : 02/07/2024

सेवा में,

अधिकाारी अधिकाारी
नगर पालिका परिषद
बेल्हा, प्रतापगढ़

विषय : माननीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक संख्या : 418 / न0पा0परि0-2024 दिनांक 27 जून 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि नाले का निर्माण कार्य आज भी प्रारम्भ नहीं हुआ है, उचित की पुष्टि के लिए कॉलेज गेट से हर 100 मी0 की दूरी पर सड़क के किनारे की रंगीन जियोटेग फोटोग्राफ आपके अवलोकनार्थ प्रेषित कर रही हूँ। पत्र में संलग्न फोटो में कहीं भी महाविद्यालय परिसर दिखाई नहीं दे रहा है जबकि माननीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष दिये गये आश्वासन में पालिका द्वारा प्रतिदिन महाविद्यालय परिसर से जल निकासी सुनिश्चित कराने और महाविद्यालय में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए कहा गया था। आप सहमत होंगे कि इन दोनों ही आश्वासनों का पालन पालिका द्वारा नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा अपने पत्र दिनांक 24/06/2024 एवं 25/06/2024 से महाविद्यालय के भवन की नींव के अन्दर तेजी से जल प्रवाह और दीवारों में क्रैक की सूचना वीडियो और छायाचित्रों के द्वारा किसी पेशबन्दी या असत्य और भ्रामक सूचना देने के लिए नहीं बल्कि अपनी पीड़ा को उच्चाधिकारियों तक पहुँचाने के लिए प्रेषित किया गया था। आपके संदर्भित पत्र के अंतिम प्रस्तर में जो आरोप लगाये गये हैं कि मैं भ्रामक और असत्य सूचनायें प्रेषित कर रही हूँ इससे मैं आहत हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यदि उच्चाधिकारियों के समक्ष भवन के क्षतिग्रस्त होने के प्रमाण प्रस्तुत करूँगी तो उनकी संवेदनशीलता जागेगी और महाविद्यालय के 02 करोड़ से अधिक लागत के भवन को बचाया जा सकेगा। शायद यह महाविद्यालय का दुर्भाग्य है कि आज तक किसी अधिकारी ने मेरे पत्रों को गम्भीरता से नहीं लिया और उस दिन की प्रतिकक्षा की जा रही है जब भवन धराशायी हो जायेगा।

मैं आपका ध्यान पालिका/प्रशासन को उन कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहूँगी जो प्रथम दृष्टया ही भ्रामक और असत्य दिखाई देते हैं।

क) पालिका का पत्र सं0 : 358 / न0पा0परि0-2021 दिनांक 15 जुलाई 2021 एवं पत्र सं0: 543 / न0पा0परि0-2021 दिनांक 01 सितम्बर 2021 जो कि क्रमशः महाविद्यालय को और जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित है जिसमें जल के स्वभाविक प्रवाह को अतिक्रमण द्वारा रोके जाने और जल प्रवाह के मार्ग को रोके जाने में प्रशासन की असमर्थता को प्रेषित कर रहा है।

क्रमशः.....

Contact us : (05342) 223769, 220254, 221002, 221003, 221004, 221005, 221006,
221012, 221014, 221016, 221031

web-site: www.saket.education
le-mail: saketpratapgarh@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' (9838107210
9838503397



साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज

(सम्बद्ध : प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 02/07/2024

-2-

- ख) माननीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र में संदर्भगत नाले को पालिका के अधिकार क्षेत्र के बाहर बताया जाना और उनके नवीनीकरण को अस्वीकार किया जाना।
- ग) नाले की लागत जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को प्रेषित पत्र सं0: 991/एल0वी0सी0-2022 दिनांक 12 मई 2022 में रू0 296.00 लाख दर्शाया गया था जबकि पत्र सं0 :1830/एल0वी0सी0-2023 दिनांक 14 जुलाई 2023 में उसी नाले की लागत रू0 1187.00 लाख दर्शाया जाना और अन्ततः 4.99 करोड़ में कार्य पूर्ण कराये जाने का प्रस्तावित किया जाना।
- घ) बिना नाले का निर्माण कार्य शुरू हुए माननीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष नाले की कार्य प्रारम्भ होने के चित्र प्रस्तुत कर दिया जाना।
- उपर्युक्त सभी कार्य जहाँ तक कि मैं समझती हूँ असत्य और भ्रामक की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। पालिका द्वारा सदर्भगत नाले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत प्रदूषित जल के निस्तारण की व्यावस्था किसे बिना अधूरा छोड़ देना और महाविद्यालय एवं 200 भवनों को प्रदूषित जल में आवासित रहने में विवश करना ज्यादा असहज स्थिति होगी न कि भवन को बचाने के लिए उच्चाधिकारियों को ध्यान आकृष्टि करना।

मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे द्वारा किसी तथ्य से आपको कष्ट हो इसके लिए मुझे क्षमा करेगे लेकिन इस सत्य को जरूर स्वीकार भी करे कि यदि समय रहते प्रशासन/पालिका कार्यवाही करती तो न तो जल का प्राकृतिक प्रवाह अतिक्रमण द्वारा अवरूद्ध किया जा सकता और न ही आज इतनी बड़ी समस्या खड़ी होती।

संलग्नक यथोपरि

भवदीया

(डॉ0 (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लोग निर्माण विभाग।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
6. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।

(डॉ0 (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

Contact us : (05342) 223769, 220254, 221002, 221003, 221004, 221005, 221006,
221012, 221014, 221016, 221031



महाविद्यालय का गेट



महाविद्यालय से 100 मी० दूर



महाविद्यालय से 200 मी० दूर



महाविद्यालय से 300 मी० दूर



महाविद्यालय से 400 मी० दूर



महाविद्यालय से 500 मी० दूर

IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ANNEXURE NO. A4

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

**Relevant media reports dated 04.07.2024 published in all major
Hindi daily – Dainik Jagaran, Amar Ujala and Hindustan**

कोर्ट की सख्ती पर बैकफुट पर पालिका प्रशासन, निर्माण शुरू

संसू जागरण • प्रतापगढ़ : दहिलामऊ स्थित साकेत गर्ल्स पीजी कालेज के पहले तक नगर पालिका द्वारा नाला बनवाया गया है। इसके बाद नाले का निर्माण नहीं हुआ। इससे मोहल्ले का पानी नाले के सहारे कालेज परिसर में भरता था। इसकी शिकायत कालेज की प्रिंसिपल डा. नीलिमा श्रीवास्तव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में की थी। वहां से नगर पालिका पर जुर्माना भी हुआ है। कोर्ट की सख्ती के बाद बुधवार दोपहर एसडीएम सदर उदयभान सिंह और ईओ राम अचल कुरील टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कालेज के पास से बुलडोजर से नाले का निर्माण शुरू



बुधवार को साकेत पीजी कालेज के पास से नाले का निर्माण शुरू कराए जाने के लिए बुलडोजर से हो रही खोदाई • सौ. नगर पालिका

कराया। ईओ ने बताया कि यह नाला लाख से अधिक की लागत से इसे एक किमी 280 मीटर बनना है। बनाया जा रहा है। एक माह में काम भुलियापुर तक नाला बनना है। पांच पूरा होने की उम्मीद है।

दैनिक जागरण - दिनांक 04/07/2024

[Handwritten signature]

कराने को कहा था। संवाद

एसडीएम ने खुदवाया नाला



नाले की खुदाई कराते एसडीएम व ईओ। संवाद

प्रतापगढ़। शहर के दहिलामऊ में पुराने नाले को बंद करने से बरसात का पानी बस्ती में जमा हो रहा था। डीएम के निर्देश पर बुधवार को एसडीएम उदयभानु सिंह मौके पर पहुंचे और जेसीबी से अवैध कब्जा हटवाकर बंद नाले को खुलवाया।

यह समस्या लंबे समय से खड़ी हुई थी। दरअसल में मूल नाले को बंद करके उसकी दिशा बदली जा रही थी, जिससे बरसात पानी निकलना मुश्किल हो गया था। बुधवार को एसडीएम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी से नाले को खुदवाया। संवाद

दैनिक अमर उजाला : दिनांक : 04/07/24

पैमाइश कराकर नाले का चिहनांकन हुआ

प्रतापगढ़, संवाददाता। नगरपालिका के प्रस्तावित नाले पर हुए अंतःक्रमण बुधवार को एसडीएम सदा उदयभानु सिंह ने हटवाकर निर्माण शुरू करा दिया। उन्होंने नाले की पैमाइश कराने के बाद चिहनांकन करा दिया और आसपास स्थित भूमि के स्वामियों को बुलाकर समझा दिया कि नाले के निर्माण में किसी तरह की रुकावट न डालें, अन्यथा एफ-आईआर दर्ज करा दी जाएगी।

दहिलामऊ मोहल्ले में गायघाट रोड पर रहने वाले के मकान के बाहर खाला भर गया पानी भर रहा है। कारण यहां जलनििकासी का नाला ही नहीं है और जिस स्थान से पानी निकल कर बंद नदी तक पहुंचता था, उसके लोगों ने बंद कर निर्माण कर दिया है। मोहल्ले वालों को जलभराव से राहत देने के लिए नगरपालिका प्रशासन की ओर से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। पालिका वार्डियों की ओर से खंडित नाले को

- प्रस्तावित नाले पर मोहल्ले वालों ने कर लिया था अतिक्रमण
- दहिलामऊ मोहल्ले की जलनिकासी के लिए करा रहे निर्माण

कुछ लोगों ने पाट दिया और दावा किया कि यह भूमि उनकी पैदा है। अधिकारी रामअचल कुरोल ने इसकी विकायत डीएम संजोय रजन से की। डीएम ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई कराने का निर्देश एसडीएम सदा उदयभानु सिंह को सौंपा। बुधवार को एसडीएम सदा राजस्वकर्मियों की टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने निर्माणाधीन नाले की पैमाइश कराने के बाद चिहनांकन करा दिया। यही नहीं उन्होंने जेसीबी बुलाकर नाला खोदाई शुरू करा दी।

अधूरे सड़क निर्माण पर नोटिस जारी

लातमगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुर सभामंडल ब्लॉक के देवारा में पूर्वांचल निधि से इंटरलॉकिंग सड़क मिली थी। करीब आठ सप्ताह से बनने वाली सड़क का निर्माण अवरईएस विभाग की निगरानी में शुरू हो चुका था, लेकिन शुरू होते ही काम बंद हो गया था। अधूरी सड़क से गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। आठ सप्ताह बाद जब अधूरी सड़क के बारे में लोगों ने अवरईएस विभाग से जानकारी की तो सक्रियता दिखाई गई। लापरवाह कार्यवाही संस्था के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। विभाग ने कार्यवाही संस्था को जल्द कार्य पूरा कराने का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस जारी की है। रामपुरसभामंडल के अवरईएस अवर अधिकारियों शुभम त्रिपाठी ने कहा कि सड़क का निर्माण पूरा करने में लापरवाही बरती गई है। इसके लिए कार्यवाही संस्था को नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में कार्य पूरा नहीं हुआ तो कार्यवाही संस्था को ब्लॉक विस्टेज किया जाएगा।

जलभराव से मिलेगी राहत

नगरपालिका की ओर से बनाया जा रहा नाला गायघाट रोड पर रहने वाले परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कारण इस रोड पर रहने वाले परिवार खाल भर जलभराव से जूझते हैं। इस रोड पर स्थित सकेत मकान पीजी कॉलेज के अगले हिस्से में वर्तमान में गया पानी भर रहा है।

दैनिक हिन्दुस्तान : दिनांक : 04/07/24

**IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ANNEXURE NO. A5

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

Copies of the letters and emails dated 06.07.2024 and 07.07.2024

web-site: www.saket.education
e-mail: saketpratapgarrh@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' (9838107210
9838503397



साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज

(सम्बद्ध : प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 06/07/2024

आदरणीय महोदय,

मैं आपका ध्यान अपने पूर्ववर्ती अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 02/07/2024 की ओर आकर्षित करना चाहूँगी; जिसके द्वारा मैंने महोदय से आग्रह किया था कि नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ को निर्देशित करने की कृपा करें उनके द्वारा माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष दिये गये आश्वासन के अनुरूप महाविद्यालय परिसर में उनके अर्द्धनिर्मित नाले के प्रदूषित जल प्रवाह से रोकने हेतु महाविद्यालय भवन के वाह्य दीवारों के पास से प्रदूषित जल को दूर करने के उपाय किये जाये और पहले से भरे हुए प्रदूषित जल के निकासी हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

पालिका द्वारा मेरे लगातार पत्राचार के बावजूद इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई और मैंने जिस आशंका को व्यक्त किया था कि प्रथम बरसात में ही सम्पूर्ण परिसर तालाब में पर्णित हो जायेगा; कल की बरसात में आशंका ने मूर्त रूप ले लिया है। आप सहमत होंगे कि 05 वर्षों से लगातार पत्राचार के बावजूद पालिका की निष्क्रियता का दंश आज यह महाविद्यालय परिवार झेल रहा है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि विद्यालय भवन को ध्वस्त होने से बचाने के लिए समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें क्योंकि अब वह अवसर आ चुका है जब महाविद्यालय भवन पालिका के निष्क्रियता का कभी भी शिकार हो सकता है। परिसर के छायाचित्र प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि महाविद्यालय भवन को बचा लीजिए।

शुभकामनाओं सहित

संलग्नक : महाविद्यालय में जल भराव के छायाचित्र।

सेवा में,

श्री संजीव रंजन जी
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

भवदीया

(डॉ0 (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

rediffmail

Mailbox of saketpratapgarrh

Subject: माननीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

From: saket<saketpratapgarrh@rediffmail.com> on Sat, 06 Jul 2024 12:28:36

To: "dmpira"<dmpira@nic.in>

1 attachment(s) - Final_Letter.pdf (434.75KB)

आदरणीय महोदय,

मैं आपका ध्यान अपने पूर्ववर्ती अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 02/07/2024 की ओर आकर्षित करना चाहूँगी; जिसके द्वारा मैंने महोदय से आग्रह किया था कि नगर पालिका परिषद बेल्हा, प्रतापगढ़ को निर्देशित करने की कृपा करें उनके द्वारा माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष दिये गये आश्वासन के अनुरूप महाविद्यालय परिसर में उनके अर्द्धनिर्मित नाले के प्रदूषित जल प्रवाह से रोकने हेतु महाविद्यालय भवन के बाह्य दीवारों के पास से प्रदूषित जल को दूर करने के उपाय किये जाये और पहले से भरे हुए प्रदूषित जल के निकासी हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

पालिका द्वारा मेरे लगातार पत्राचार के बावजूद इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई और मैंने जिस आशंका को व्यक्त किया था कि प्रथम बरसात में ही सम्पूर्ण परिसर तालाब में परिणित हो जायेगा; कल की बरसात में आशंका ने मूर्त रूप ले लिया है। आप सहमत होंगे कि 05 वर्षों से लगातार पत्राचार के बावजूद पालिका की निष्क्रियता का दंश आज यह महाविद्यालय परिवार झेल रहा है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि विद्यालय भवन को ध्वस्त होने से बचाने के लिए समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें क्योंकि अब वह अवसर आ चुका है जब महाविद्यालय भवन पालिका के निष्क्रियता का कभी भी शिकार हो सकता है। परिसर के छायाचित्र प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि महाविद्यालय भवन को बचा लीजिए।

शुभकामनाओं सहित

संलग्नक: महाविद्यालय में जल भराव के छायाचित्र।

सेवा में,
श्री संजीव रंजन जी
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

web-site: www.saket.education
e-mail : saketpratapgarrh@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' 9838107210
9838503397



साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज

(सम्बद्ध : प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 07/07/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।

महोदय,

आदरणीय महोदय कृपया मेरे अर्धशासकीय पत्र दिनांक : 06/07/2024 को संदर्भित करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त के संदर्भ में दूसरे दिन की बरसात के बाद का महाविद्यालय परिसर का चित्र प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि परिसर में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने एवं परिसर से जल निकासी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे महाविद्यालय भवन को धराशायी होने से बचाया जा सके।

संलग्नक : महाविद्यालय में जल भराव के छायाचित्र।

भवदीया

(डॉ0 (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)
प्राचार्या

rediffmail

Mailbox of saketpratapgarrh

Subject: SAKET GIRLS PG COLLEGE, PRATAPGARH

From: saket<saketpratapgarrh@rediffmail.com> on Sun, 07 Jul 2024 11:16:08

To: "dmpira"<dmpira@nic.in>

1 attachment(s) - Letter__07-06-2024_photo_.pdf (337.13KB)

सेवा में,
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।

महोदय,

आदरणीय महोदय कृपया मेरे अर्धशासकीय पत्र दिनांक: 06/07/2024 को संदर्भित करने का कष्ट करें।
उपर्युक्त के संदर्भ में दूसरे दिन की बरसात के बाद का महाविद्यालय परिसर का चित्र प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि परिसर में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने एवं परिसर से जल निकासी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे महाविद्यालय भवन को धराशायी होने से बचाया जा सके।

संलग्नक: महाविद्यालय में जल भराव के छायाचित्र।

भवदीया
(डॉ० श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)
प्राचार्या



IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ANNEXURE NO. A6

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

A copy of the letter and email dated 08.07.2024



साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज

(सम्बद्ध : प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 08/07/2024

आदरणीय महोदय,

मैं आपका ध्यान अपने पूर्ववर्ती पत्रों एवं विशेष रूप से नगर पालिका प्रतापगढ़ के अधिशापी अधिकारी के संलग्न पत्र दिनांक 01/08/2021 की ओर आकृष्ट करना चाहूँगी।

महोदय गत 05 वर्षों से लगातार पत्राचार के बावजूद महाविद्यालय के पास के प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग को खुलवाने में प्रशासन की असमर्थता के कारण आज महाविद्यालय परिसर एक तालाब में परिणित हो गया है। महाविद्यालय भवन कभी भी धराशायी हो सकता है।

आपके अथक प्रयास के फलस्वरूप प्रस्तावित नाले का निर्माण शुरू हो गया है जिसके लिए साकेत परिवार आभारी है किन्तु आप सहमत होंगे कि इस नाले का निर्माण इस बरसात के पूर्व पूर्ण हो पाना सम्भव नहीं है और अब तक महाविद्यालय को तालाब के रूप में बनाये रखना भी उचित नहीं होगा।

अस्तु विनम्र अनुरोध है कि 50 वर्षों से अधिक पुराने प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग को तात्कालिक रूप से खुलवाने की कृपा करें जिससे महाविद्यालय में जल भराव के स्तर को कुछ कम किया जा सके।

संलग्नक : महाविद्यालय परिसर के जल भराव के छायाचित्र।

सेवा में,

श्री संजीव रंजन जी
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

भवदीया

(डॉ0 (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)
प्राचार्या

rediffmail

Mailbox of saketpratapgarrh

Subject: महाविद्यालय परिसर में जल भराव रोकने के सम्बन्ध में।

From: saket<saketpratapgarrh@rediffmail.com> on Mon, 08 Jul 2024 12:23:32

To: "dmprra"<dmprra@nic.in>

1 attachment(s) - Saket_Final_Letter pdf (1002.38KB)

आदरणीय महोदय,

में आपका ध्यान अपने पूर्ववर्ती पत्रों एवं विशेष रूप से नगर पालिका प्रतापगढ़ के अधिशाषी अधिकारी के संलग्न पत्र दिनांक 01/08/2021 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी।

महोदय गत 05 वर्षों से लगातार पत्राचार के बावजूद महाविद्यालय के पास के प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग को खुलवाने में प्रशासन की असमर्थता के कारण आज महाविद्यालय परिसर एक तालाब में परिणित हो गया है। महाविद्यालय भवन कभी भी धराशायी हो सकता है।

आपके अथक प्रयास के फलस्वरूप प्रस्तावित नाले का निर्माण शुरू हो गया है जिसके लिए साकेत परिवार आभारी है किन्तु आप सहमत होंगे कि इस नाले का निर्माण इस बरसात के पूर्व पूर्ण हो पाना सम्भव नहीं है और अब तक महाविद्यालय को तालाब के रूप में बनाये रखना भी उचित नहीं होगा।

अस्तु विनम्र अनुरोध है कि 50 वर्षों से अधिक पुराने प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग को तात्कालिक रूप से खुलवाने की कृपा करें जिससे महाविद्यालय में जल भराव के स्तर को कुछ कम किया जा सके।

संलग्नक: महाविद्यालय परिसर के जल भराव के छायाचित्र।

सेवा में,

श्री संजीव रंजन जी
आई ए एस.
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ANNEXURE NO. A7

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

Copies of the letters and emails dated 17.08.2024 and 21.08.2024
along with geotagged photographs taken on 17.08.2024, 20.08.2024
and 21.08.2024

web-site www.saket.education
e-mail saketpratapgargh@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' (9838107210
9838503397



साकेत गर्ल्स पी०जी० कालेज

(सम्बद्ध : प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 17/08/2024

सेवा में,

अधिकाारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बेल्हा, प्रतापगढ़

अत्यावश्यक

विषय : माननीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10/04/2024 को सलग्न करते हुए अवगत कराना है कि उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित पालिका द्वारा माननीय न्यायाधिकरण को दिये गये आश्वासन के अनुरूप पालिका द्वारा 15/08/2024 तक नाले का निर्माण पूर्ण कर लेना था और नाले के पूर्ण होने तक परिसर में प्रदूषित जल के प्रवेश को रोक कर प्रतिदिन परिसर में हुए जल भराव को खाली करने के लिए सक्शन पम्प से प्रदूषित जल की निकासी की जानी थी, किन्तु पालिका अपने दिये गये आश्वासन को पूर्ण करने में असफल रही। आज तक न तो नाले का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और न परिसर से जल निकासी हेतु कोई प्रयास किया गया।

आज की परिसर और महाविद्यालय से प्रस्तावित नाले की जी०यो०टैंग स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पालिका द्वारा माननीय न्यायाधिकरण को दिये गये आश्वासन के अनुरूप कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नक यथोपरि

भवदीया

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)
प्राचार्या

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लोग निर्माण विभाग।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
6. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)
प्राचार्या

rediffmail

Mailbox of saketpratapgargh

Subject: माननीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

From: saket<saketpratapgargh@rediffmail.com> on Sat, 17 Aug 2024 14:15:14

To: "eonpppratapgargh"<eonpppratapgargh@gmail.com>

Cc: "csup"<csup@nic.in>,"nrgokarn"<nr.gokarn@nic.in>,"diruplb"<diruplb@nic.in>,"grievance@uppcb.com"<grievance@uppcb.com>

1 attachment(s) - Saket_Girls_P_G_College.pdf (2.33MB)

महोदय,

माननीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10/04/2024 को संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित पालिका द्वारा माननीय न्यायाधिकरण को दिये गये आश्वासन के अनुरूप पालिका द्वारा 15/08/2024 तक नाले का निर्माण पूर्ण कर लेना था और नाले के पूर्ण होने तक परिसर में प्रदूषित जल के प्रवेश को रोक कर प्रतिदिन परिसर में हुए जल भराव को खाली करने के लिए सक्शन पम्प से प्रदूषित जल की निकासी की जानी थी; किन्तु पालिका अपने दिये गये आश्वासन को पूर्ण करने में असफल रही। आज तक न तो नाले का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और न परिसर से जल निकासी हेतु कोई प्रयास किया गया।

आज की परिसर और महाविद्यालय से प्रस्तावित नाले की जी0यो0डेग स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पालिका द्वारा माननीय न्यायाधिकरण को दिये गये आश्वासन के अनुरूप कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नक यथोपरि

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लोग निर्माण विभाग।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
6. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।

web-site: www.saket.education
e-mail : saketpratapggarh@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' (9838107210
9838503397



साकेत गर्ल्स पी0जी0 कालेज

(सम्बद्ध : प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलामऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 21/08/2024

सेवा में,

अधिशापी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बेल्हा, प्रतापगढ़

विषय— महाविद्यालय परिसर में जल भराव रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि पूर्व में लगातार अवगत कराया जा रहा था कि बारिश होते ही सम्पूर्ण परिसर जलमग्न हो जाएगा वैसा ही कल की बारिश के कारण हुआ; और पालिका के अर्द्धनिर्मित नाले का प्रदूषित जल परिसर में लगभग 3 फिट से ज्यादा भर जाने के कारण शिक्षण कार्य स्थगित कर देना पड़ा। पालिका से अब तक किये गये अनुरोध का कोई सार्थक परिणाम नहीं ला सके और पालिका द्वारा न ही प्रदूषित जल रोकने का प्रयास किया गया और न के प्राकृतिक प्रभाव को खुलवाने का।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब तक नाले का निर्माण नहीं हो जा रहा है तब तक जल के प्राकृतिक प्रवाह को खुलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे संस्थान में फिर से शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

भवदीया,

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

प्रतिलिपि— इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संस्थान में शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ कराने हेतु जल निकासी की समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
5. आयुक्त प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज ।
6. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़ ।

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

Contact us : (05342) 223769, 220254, 221002, 221003, 221004, 221005, 221006,
221012, 221014, 221016, 221031

rediffmail

Mailbox of sakotpratappgarh

Subject: महाविद्यालय परिसर में जल भराव रोकने के सम्बन्ध में।

From: sakot<sakotpratappgarh@rediffmail.com> on Wed, 21 Aug 2024 11:52:48

To: "eoonpppratappgarh"<eoonpppratappgarh@gmail.com>

Cc: "csup"<csup@nic.in>,"nrgokarn"<nrgokarn@nic.in>,"diruplb"<diruplb@nic.in>,"grievance@uppccb.com"<grievance@uppccb.com>

1 attachment(s) - LETTER.pdf (456.35KB)

महोदय,

जैसा कि पूर्व में लगातार अवगत कराया जा रहा था कि बारिश होते ही सम्पूर्ण परिसर जलमग्न हो जाएगा वैसा ही कल की बारिश के कारण हुआ और पालिका के अर्द्धनिर्मित नाले का प्रदूषित जल परिसर में लगभग 3 फिट से ज्यादा भर जाने के कारण पिछले कार्य स्थगित कर देना पड़ा। पालिका से अब तक किये गये अनुरोध का कोई सार्थक परिणाम नहीं ला सका और पालिका द्वारा न ही प्रदूषित जल रोकने का प्रयास किया गया और न के प्राकृतिक प्रवाह को खुलवाने का। आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब तक नाले का निर्माण नहीं हो जा रहा है तब तक जल के प्राकृतिक प्रवाह को खुलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे संस्थान में फिर से पिछले कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

प्रतिलिपि- इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संस्थान में पिछले कार्य पुनः प्रारम्भ कराने हेतु जल निकासी की समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रमुख सचिव, उओप्रओ शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उओप्रओ शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. आयुक्त प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
6. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।



महाविद्यालय परिसर में जल भराव के जी0यो0टैंग फोटोग्राफ



[Handwritten signature]

महाविद्यालय गेट से प्रस्तावित नाले तक के जी०यो०टैंग फोटोग्राफ



(43)



[Handwritten signature]

(44)



(54)



Jr

(46)



Jr

IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ANNEXURE NO. A8

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

A copy of letter dated 22.08.2024

web-site: www.saket.education
e-mail: saketpratepgarh@rediffmail.com

नैक मूल्यांकित ग्रेड 'बी' [9838107210
9838503397



साकेत गर्ल्स पी०जी० कालेज

(सम्बद्ध : प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

गाय घाट रोड, दहिलानऊ, प्रतापगढ़

महाविद्यालय कोड : 04078

दिनांक : 22 / 08 / 2024

सेवा में,

अधिकाारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बेल्हा, प्रतापगढ़

विषय- माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

साकेत परिवार आपका आभारी है कि आप हमारे परिसर में आये और आज जल के प्राकृतिक प्रवाह को खुलवाने हेतु एवं परिसर से जल निकासी के लिए प्रयास भी किये जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही जल का प्राकृतिक प्रवाह मार्ग खोलकर परिसर में संग्रहित प्रदूषित जल को निकालने में पालिका सफल होगी। आपसे यह भी आग्रह है कि जल का स्तर कम हो जाने के उपरान्त डी०डी०टी० आदि का छिड़काव परिसर में कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे डेगू आदि के प्रकोप से छात्राओं को बचाया जा सके।

भवदीया,

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।

(डॉ० (श्रीमती) नीलिमा श्रीवास्तव)

प्राचार्या

Contact us : (05342) 223769, 220254, 221002, 221003, 221004, 221005, 221006,
221012, 221014, 221016, 221031

rediffmail

Mailbox of saketpratapgarrh

Subject: माननीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

From: saket<saketpratapgarrh@rediffmail.com> on Thu, 22 Aug 2024 11:34:11

To: "eonpppratapgarrh"<eonpppratapgarrh@gmail.com>

1 attachment(s) - EO_Letter_22-08-2024 pdf (385.07KB)

महोदय,

साकेत परिवार आपका आभारी है कि आप हमारे परिसर में आय और आज जल के प्राकृतिक प्रवाह को खुलवाने हेतु एवं परिसर से जल निकासी के लिए प्रयास भी किये जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि घोंघे ही जल का प्राकृतिक प्रवाह मार्ग खोलकर परिसर में संग्रहित प्रदूषित जल को निकालने में पालिका सफल होगी। आपसे यह भी आग्रह है कि जल का स्तर कम हो जाने के उपरान्त टी0टी0टी0 आदि का छिड़काव परिसर में कराने की व्यवस्था करने की कृपा कर जिससे डेगू आदि के प्रकोप से छात्रार्थी को बचाया जा सके।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।



IN THE HONOURABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ANNEXURE NO. A9

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

IN

EXECUTION APPLICATION NO: 24 of 2023

(U/S. 18 r/w S. 25,26 &28 of NGT Act 2010)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO: 44 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Saket Girls Pg College

..... APPLICANT

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

..... RESPONDENTS

Geotagged Photographs of devastated and ruined college campus

(51)



Latitude: 25.927077
Longitude: 81.979264
Elevation: 100.01±100 m
Accuracy: 14.2 m
Time: 08-27-2024 08:47
Note: garden



Latitude: 25.927007
Longitude: 81.979215
Elevation: 100.21±43 m
Accuracy: 17.7 m
Time: 08-27-2024 08:46
Note: garden

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

Powered by SatCam

(52)



Latitude: 25 926958
Longitude: 81 979291
Elevation: 100.01±52 m
Accuracy: 38.2 m
Time: 08-27-2024 08:49
Note: garden

Powered by NoteCam



Latitude: 25 927076
Longitude: 81 979387
Elevation: 100.01±100 m
Accuracy: 12.7 m
Time: 08-27-2024 08:48
Note: garden

Powered by NoteCam

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'R' or a similar character, located below the second photograph.

(53)



R